

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 3388/5500/2016/19/यो

भोपाल, दिनांक 24/09/2016

प्रति,

- 1 प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल
- 2 मुख्य अभियंता (..... परि),  
लोक निर्माण विभाग,  
.....
- 3 मुख्य अभियंता,  
म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.,  
भोपाल

विषय: अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में।

संदर्भ: म.प्र. शासन गृह (सी अनुभाग) विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 3936/2681/  
2016/दो/सी-1 भोपाल दिनांक 06.09.2016

उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय सहपत्र के आवश्यक कार्यवाही हेतु  
संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार गृह विभाग से प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध  
है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

①  
22/9/2016  
(दीपक असाई)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग  
"निर्माण भवन", प्लॉट नं.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स, मध्यप्रदेश भोपाल

प.क्र.- 112/सं. / 15 / 3421  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/10/16

समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग  
म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का  
कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

10  
7/10/16

मुख्य अभियंता (अ/ब)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क. 3936 / 2681 / 2016 / दो / सी-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2016

1. प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
नगरीय विकास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- अतिविशिष्ट / विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयक विशेष पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता से प्राप्त पत्र क्रमांक  
विशा / 5 / टूर / 2016-16 (2622) दिनांक 16.05.2016 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में  
आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



17 SEP 2016

SEY

(डी०एस० मुकाती)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.क. 3937 / 2681 / 2016 / दो / सी-1  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2016

विशेष पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके पत्र  
क्रमांक-विशा० / 5 / टूर / 2016-16 (2622), दि०-16.05.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ  
अग्रेषित।

अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

क्रमांक 3500  
दिनांक 12.09.16  
लोक निर्माण विभाग (योजना)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

गोपनीय

विशेष शाखा : मध्य प्रदेश, भोपाल।

क्रमांक-विशा/5/टूर/2016-16 ( 2622 ) दिनांक 16/05/2016

प्रति,

श्री बी०पी० सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
गृह विभाग,  
मध्य प्रदेश शासन,  
मंत्रालय, भोपाल।

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (श्री) विभाग  
एजी क्र० 2681  
दिनांक 19/05/16

R  
श्रीमती सरला

विषय :- ~~अति विशिष्ट / विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।~~

31/5/16  
19/5/16

1- ~~मान. प्रधानमंत्री भारत सरकार~~ क महु जिला इंदौर यात्रा के दौरान जनसभा हेतु बनाये गये पण्डाल (डोम), ग्रीन रूम, स्टेज, हैलीपेड पर अस्थायी शौचालय एवं रिसेप्शन आदि अग्निरोधक कपडे से नही बनाये गये थे। इसी प्रकार जिला सीहोर में स्टेज, ग्रीन रूम, हैलीपेड पर बनाये गये अस्थायी शौचालय, रिसेप्शंस आदि अग्निरोधी घोल से उपचारित कराये जाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हुई एवं किस एजेंसी द्वारा यह कार्य कराया जाये, इसमें भी विवाद बना रहा। अतंतः अग्निरोधक घोल का छिडकाव किया गया, लेकिन इसे उचित एवं पूर्ण रूप से प्रभावी नही माना जा सका। खडे डोम को घोल से उपचारित किया जाना एक कठिन प्रक्रिया है, जो पूर्ण रूप से प्रभावी नही है। संभवतः मान. प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिना अग्निरोधी घोल से उपचारित पण्डाल (बाहरी परत) एवं स्टेज में ही कराया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नही था।

2- मान. प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान कैंपिंग एवं आमसभा आयोजन हेतु पण्डाल आदि व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन/ आयोजकों की है। अतः स्वाभाविक रूप से अग्निरोधी कपडे से अथवा अग्निरोधी घोल उपचारित कपडे से पण्डाल एवं स्टेज आदि तैयार करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन/ आयोजकों की

see (P)  
to write  
to DM/SP  
(5) put up  
18/5/16

श्रीमती सरला

So c 2

(25)

- 2 -

3- मान. प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा हेतु आवश्यक होगा कि स्थानीय प्रशासन अथवा आयोजकगण द्वारा कार्यक्रम हेतु पण्डाल, स्टेज आदि अग्निरोधी कपडे से ही बनाया जावे और यदि अग्निरोधी कपडा होने की स्थिति में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवाओं के संलग्न पत्र पर विचार किया जा सकता है।

4- कृपया उपरोक्त तथ्यों के आलोक में शासन स्तर पर समस्त जिला दण्डाधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया जाना समीचीन होगा।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

*J. 16.5.16*  
विशेष पुलिस महानिदेशक,  
गुप्तवार्ता, मध्य प्रदेश, भोपाल।